10/2/2020	वकील फरीकेन उपस्थित। बहस वकील फरीकेन का श्रवण किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीपान स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर के दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली की मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न रहे।
	उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

किस्म मुकदमा — ता.रजू

मु.न. 01/017 — प्रा0पत्र स्थगन — 09.2.017

उनवान

1 चवरसिह } पिसरान केशरीसिह
2 मातवरसिह }
3 बाबूसिह पुत्र राजपाल
4 चन्दनसिह पुत्र देवीसिह

जातियन राजपूत निवासीयान मांची तहसील व जिला करौली

——प्रार्थीयान

बनाम

मेधराम पुत्र जवालीराम जाति जाटव निवासी मांची तहसील व जिला करौली —अप्रार्थीयान

निर्णय दिनांक 10.02.2020

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अपील न्यायालय हाजा मे पेश हो चुकी है। जो प्राईमाफेसी बहुत ही मजबूत है। अप्रार्थी दौराने अपील नामान्तकरण से सम्बन्धित आराजी खसरा नम्बर 799 रकवा 18 विस्वा जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खातेदारी की है जिसमे अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है। अपीलान्ट प्रार्थीयान मृतक सरदार वाई वेवा अभयसि हके वैध वारिसन है उक्त आराजी का रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 10 के पितागण व पति ने पटवारी व गिरदावर हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत मांची से साज कर गलत तौर पर फर्जी तरीके से नामान्तकरण करा लिया जिसकी अपील प्रार्थीयान अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 10 ने नामान्तकरण के वाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 11 अप्रार्थी को भूमि गलत तौर पर 14/15 हिस्सा विक्रय कर दिया है और अप्रार्थी अवैध खातेदारी के सबब आराजी को रहन वय करने पर तुला हुआ है अप्रार्थी ने दिनाक 02.01.2017 को इस बाबत प्रार्थीयान से ऐलानि कहा है अप्रार्थी की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक प्रार्थीयान पर भारी आधात है। यदि दौराने अपील अप्रार्थी ने आराजी को विक्रय कर दिया तो वेजा मुकदमे वाजी बढेगी एवं अपीलान्ट का अपील पेश करने का मकसद फौत हो जावेगा जिससे प्रार्थीयान को अपूर्णिय क्षति व मारी असुविध होगी इसलिए अप्रार्थी को दौराने अपील प्रार्थीयान पबांद कराने के अधिकारी है। अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थान पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गयां।

अप्रार्थी प्रकरण मे दिनांक 19.6.2017 व 4.8.2017 को उपस्थित हुआ और दिनांक 4.2.2020 तक जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर जबाव अप्रार्थी बंद किया गया।

बहस वकील फरीकेन प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद ग्रस्त नामान्तकरण सख्या 570 ग्राम मांची मृतक सरदारबाई वेवा अभय सिह की विरासत का दर्ज हुआ है। जिसकी अपील न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है। इसस सम्बन्ध मे अपीलान्ट प्रार्थीयान ने न्यायालय हाजा का दिनांक 6.11.1979 को जारी वारिसान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसमे प्रार्थीयान का मृतक सरदार वाई के वारिस होना दर्ज है जिससे प्राईमाफेसी केस प्रार्थीयान के पक्ष मे प्रतीत होता है यदि दौराने अपील आराजी का अप्रार्थी द्वारा हस्तान्तरण किया जाता है तब उभयपक्ष के मध्य विवाद पैदा होगा जिससे उभय पक्ष को अपूर्णिय क्षति व असुविधा होगी। सुविध का संन्तुलन उभय पक्ष को वादग्रस्त आराजी की अपील यथा स्थिति बनाये रखे जाने मे ही है। प्रार्थना पत्र स्थगन प्रार्थीयान स्वीकार किया जाता है उभय पक्ष को ताफैसला अपील पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 799 रकवा 18 विस्वा ग्राम मांची तहसील करौली को रहन वय नही करे। दिनांक 9.2.2017 को जारी स्थगन आदेश कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.03.13 10:26:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: